न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/96/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/339

अपीलार्थी	बनाम	**प्रत्यर्थी**
श्री दिनेश कुमार मीना, नि. ग्राम सकटबनी का बास, तहसील—राजगढ जिला—अलवर (राज.)—301408		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, अलवर

प्रवेश तिथि :: 02.08.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 06.09.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन—पत्र दिनांकः 28.01.22 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत सकट,पं.स. राजगढ को उपलब्ध कराए गए बजट, कराये गये विकास कार्य संबंधी विविध सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. नोडल अधिकारी, सूचना के अधिकार एवं सहायक आयुक्त (खाद्य), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज. जयपुर द्वारा पूर्व में अपीलार्थी का प्रथम सूचना आवेदन दिनांकः 28.01.2022, दिनांकः 28.02.2022 को जिला रसद अधिकारी, अलवर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत अन्तरित किया गया है।
5. प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पत्र दिनांकः 17.07.2022 के माध्यम से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो नोडल अधिकारी, सूचना के अधिकार एवं सहायक आयुक्त (खाद्य), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज. जयपुर के पत्र सं. प्रथम अपील संख्याः 30/2022 जयपुर, दिनांकः 28.07.2022 के माध्यम से इस न्यायालय को सुनवाई हेतु प्राप्त हुई।
6. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया, प्रत्यर्थी की ओर से सुनवाई हेतुं कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही आदिनांक तक किसी प्रकार का जवाब नोटि.स ही प्राप्त हुआ।
7. अतः **उक्त आलोक में अपील स्वीकार** की जाकर निस्तारित जाती है, साथ ही प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वो अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 28.01.2022 में वांछित बिन्दुवार, सटीक सूचना उक्त निर्णयादेश प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में **नियमानुसार** अधिप्रमाणित व पूर्ण हस्ताक्षरित कर पंजीकृत—पत्र के जरिये अपीलार्थी को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के परिप्रेक्ष्य में जवाब समय पर भिजवाया नहीं जाना अधिनियम की भावना, उद्देश्यों के प्रतिकूल है। अतः भविष्य में इस न्यायालय द्वारा अपील अन्तर्गत जारी नोटिस पर जवाब अतित्वरित भिजवाने की व्यवस्था की जावे।
8. आदेश की प्रति उभय पक्ष के साथ—साथ नोडल अधिकारी, सूचना के अधिकार एवं सहायक आयुक्त (खाद्य), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज. जयपुर को भी प्रेषित हो।
9. आज दिनांकः 06.09.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)